न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. /2023

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चमकौर सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. मन्दर सिंह पुत्र श्री मिट्ठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उर्फ मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जसवीर कौर पुत्री श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री प्रिंस मिढ़ा, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 24.6.2023

वादी चमकौर सिंह ने प्रतिवादीगण मन्दर सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी का भाई एवं प्रतिवादीया सं. 3 वादी की बहिन है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.9215 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 3 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में

24/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल कि.कड़वाली

लगातार --2

अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 3 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) वादी चमकौर सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	13,14,17,18,24/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मन्दर सिंह पुत्र श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	22/0.253 है., 23/2/0.1265 है.
133/153	30	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
		2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
		3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
		4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.
		कुल 1.3915 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(ग) प्रतिवादी सं. 2 जसवन्त सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उर्फ मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	11,12,19,20,21/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने

24/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल... किकरवाली

लगातार --3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 3.9215 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) **वादी चमकौर सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का** विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

24/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल किकरवाली

लगातार --4

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	13,14,17,18,24/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मन्दर सिंह पुत्र श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	22/0.253 है., 23/2/0.1265 है.
133/153	30	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
		2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
		3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
		4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.
		कुल 1.3915 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 जसवन्त सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उर्फ मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	11,12,19,20,21/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/6/2023

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल... किकरवाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. /2023

चमकौर सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. मन्दर सिंह पुत्र श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसवन्त सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उर्फ मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. जसवीर कौर पुत्री श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. तहसीलदार(राजस्व) संगरियां।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.6.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री प्रिंस मिढ़ा** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) वादी चमकौर सिंह पुत्र श्री मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का

विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	13,14,17,18,24/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 1 मन्दर सिंह पुत्र श्री मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का

विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	22/0.253 है., 23/2/0.1265 है.
133/153	30	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
		2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,

लगातार --2

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल किकरवाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.
कुल 1.3915 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 जसवन्त सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह उर्फ मन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एन.के.आर. के खाता सं. 171/59 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
133/152	27	11,12,19,20,21/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 24.6.2023 को जारी किया जाता है।

24/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर अधिकारी (SDO)
शिविर स्थल - किकरवाली